रजिस्ट्री सं० डी०-(डी)-73

REGISTERED NO. D—(D)-73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 34] नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 22, 1981 (श्रावण 31, 1903)

No. 34] NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 22, 1981 (SRAVANA 31, 1903)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4

[PART III—SECTION 4]

विधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं

[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

भारतीय स्टेट बैंक

केन्द्रीय कार्यालय

बम्बई, दिनांक 1 जुलाई 1981

सूचना

इसके द्वारा बैंक के स्टाफ में की गई निम्नलिखित नियुक्ति की अधिसूचना दी जाती है :—

श्री आर० श्रीकृष्णन ने दिनांक 1 जून 1981 से मुख्य विधि सलाहकार, केन्द्रीय कार्यालय, का पदभार ग्रहण किया। इनका पद महाप्रबंधक की श्रेणी के समकक्ष है।

दिनांक 3 जुलाई 1981

इसके द्वारा बैंक के स्टाफ में की गई निम्नलिखित नियुक्ति की अधिसूचना दी जाती है :—

श्री राजिन्दर कुमार ने दिनांक 30 जून 1981 के कार्य समाप्ति के पश्चात् मुख्य अधिकारी (सहायक बैंक) केन्द्रीय कार्यालय, बम्बई का पदभार ग्रहण किया।

दिनांक 21 जुलाई 1981

इसके द्वारा बैंक के स्टाफ में की गई निम्नलिखित नियुक्ति की अधिसूचना दी जाती है :—

श्री ए० सी० रायचौधरी ने श्री आर० एच० भावे के स्थान पर दिनांक 9 जुलाई 1981 के कार्य दिवस समाप्ति के उपरान्त मुख्य प्रबंधक, केन्द्रीय स्टेशनरी विभाग, कलकत्ता का कार्यभार ग्रहण किया।

दिनांक 22 जुलाई 1981

इसके द्वारा बैंक के स्टाफ में की गई निम्नलिखित नियुक्तियों की अधिसूचना दी जाती है :—

श्री के० डी० नायर ने दिनांक 13 जुलाई 1981 से महा प्रबंधक (कार्पोरेट परिचालन), केन्द्रीय कार्यालय, बम्बई का पदभार ग्रहण किया।

श्री बी०के० मेहरोत्रा ने दिनांक 14 जुलाई 1981 से मुख्य अधिकारी (जन-सम्पर्क), केन्द्रीय कार्यालय, बम्बई का पदभार ग्रहण किया।

आर० पी० गोयल,
उप प्रबंध निदेशक
(कार्मिक एवं सेवाएं)

स्थानीय प्रधान कार्यालय

नई दिल्ली, दिनांक 29 जुलाई 1981

सूचना

1. श्री ओ० पी० वर्मा, अधिकारी, सीनियर मैनेजमेंट स्केल 4 ए के स्थान पर श्री ओ० पी० वर्मा, अधिकारी, सीनियर मैनेजमेंट स्केल 4 (संशोधित) ने दिनांक 15-4-1981 को नई दिल्ली प्रमुख शाखा में प्रबन्धक (लेखा) का कार्यभार संभाला।

2. श्री त्रिलोक सिंह, मिडिल मैनेजमेंट III, के स्थान पर श्री त्रिलोक सिंह मिडिल मैनेजमेंट II (संशोधित) ने दिनांक

15-1-1981 को नई दिल्ली प्रमुख शाखा में उप प्रबन्धक सी०/ए० का कार्यभार संभाला ।

3. श्री डी० जी० बाफना, अधिकारी मिडिल मैनेजमेंट स्केल III ने दिनांक 23-2-1981 को नई दिल्ली प्रमुख शाखा में उप प्रबन्धक (लेखा) का कार्य भार संभाला ।

इन्द्रराज,
कृते महा प्रबन्धक
(परिचालन)

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

नई दिल्ली, दिनांक 6 अगस्त 1981

सं० एन०-15/13/15/2/78-यो० एवं वि० (1)—कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम 1950 के विनियम 5 के उपविनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक ने निश्चय किया है कि निम्न अनुसूची में निर्दिष्ट क्षेत्रों में वर्ग 'क', 'ख' तथा 'ग' के लिए प्रथम अंशदान एवं प्रथम लाभ अवधियां नियत दिवस 25 जुलाई, 1981 की मध्य रात्रि को बीमा योग्य रोजगार में लगे व्यक्तियों के लिए प्रारम्भ व समाप्त होगी जैसा कि निम्न सूची में दिया गया है :—

वर्ग	प्रथम अंशदान अवधि		प्रथम लाभ अवधि	
	जिस मध्य रात्रि को प्रारम्भ होती है	जिस मध्य रात्रि को समाप्त होती है	जिस मध्य रात्रि को प्रारंभ होती है	जिस मध्य रात्रि को समाप्त होती है
क.	25-7-81	30-1-82	23-4-82	29-10-82
ख.	25-7-81	26-9-81	23-4-82	25-6-82
ग.	25-7-81	28-11-81	23-4-82	27-8-82

अनुसूची

"पश्चिम बंगाल राज्य के जिला नाडिया में कल्यानी के पुलिस स्टेशन के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत मौजा सागुना और मौजा कुलिया के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र ।"

सं० एन० 15/13/15/2/78-यो० एवं वि० (2)—कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम 1950 के विनियम 95-क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 (1948 का 34) की धारा 46(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक ने 26 जुलाई 1981 ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम, 95-क तथा पश्चिम बंगाल कर्मचारी राज्य बीमा निगम 1955 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ पश्चिम बंगाल राज्य के निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमांकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किए जाएंगे ।

अर्थात् :

"जिला नाडिया में कल्यानी के पुलिस स्टेशन के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत मौजा सागुना और मौजा कुलिया के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र ।"

सं० एन०-15/13/9/1/79—यो० एवं० वि० (1)—कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम 1950 के विनियम 5 के उपविनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक ने निश्चय किया है कि निम्न अनुसूची में निर्दिष्ट क्षेत्रों में वर्ग 'क', 'ख' तथा 'ग' के लिए प्रथम अंशदान एवं प्रथम लाभ अवधियां नियत दिवस 25 जुलाई, 1981 की मध्य रात्रि को बीमा योग्य रोजगार में लगे व्यक्तियों के लिए प्रारंभ व समाप्त होगी जैसा कि निम्न सूची में दिया गया है :—

वर्ग	प्रथम अंशदान अवधि		प्रथम लाभ अवधि	
	जिस मध्य रात्रि को प्रारंभ होती है	जिस मध्य रात्रि को समाप्त होती है	जिस मध्य रात्रि को प्रारंभ होती है	जिस मध्य रात्रि को समाप्त होती है
क.	25-7-81	30-1-82	23-4-82	29-10-82
ख.	25-7-81	26-9-81	23-4-82	25-6-82
ग.	25-7-81	28-11-81	23-4-82	27-8-82

अनुसूची :

महाराष्ट्र राज्य के :—

1. चन्द्रापुर की नगरपालिका राजस्व सीमाओं के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र ।
2. जिला चन्द्रापुर के तालुक चन्द्रापुर में निम्नलिखित ग्रामों की राजस्व सीमाओं के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र :—
   (1) भीवकुंड, (2) देवैगोविन्दपुर,
   (3) चन्दा रेतवारी, (4) खुताला,
   (5) पडोली और
   (6) चिनचाला ।

सं० एन० 15/13/9/1/79—यो० एवं वि० (2)—कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम 1950 के विनियम 95-क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 (1948 का 34) की धारा 46(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक ने 26 जुलाई 1981 ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम, 95-क तथा महाराष्ट्र कर्मचारी राज्य बीमा नियम 1954 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ महाराष्ट्र राज्य के निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमांकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किए जायेंगे ।

अर्थात :

1. चन्द्रापुर की नगरपालिका राजस्व सीमाओं के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र ।
2. जिला चन्द्रापुर के ताल्लुक चन्द्रापुर में निम्नलिखित ग्रामों की राजस्व सीमाओं के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र :
   (1) भीवकुंड, (2) देवैगोविन्दपुर,
   (3) चन्दा रेतवारी, (4) खताला,
   (5) पडोली और
   (6) चिनचाला

फकीर चन्द, निदेशक
(योजना एवं विकास)

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय
सामान्य खाते एवं तुलन पत्र
आय एवं व्यय खाता वर्ष 1977-78

व्यय	वास्तविक आंकड़े 1977–78		आय	वास्तविक आंकड़े 1977–78	
	रु०	रु०		रु०	रु०
	(क) अनुरक्षण		अनुदान खाता		
1. प्रशासन			1. धर्मादा एवं अनुदान		
(i) वेतन	43,29,337		क. नियोजन से आय		10,88,390
(ii) अन्य प्रभार	8,98,379		ग. अनुदान		
(iii) सामान्य सेवाएं तथा विविध प्रभार	42,34,500		विश्वविद्यालय अनुदान आयोग	5,85,46,298	
		94,62,216	राज्य प्रशासन	2,62,000	
2. शैक्षिक विभाग					5,88,08,298
क. संकाय			2. छात्रों से प्राप्त शुल्क		
(i) वेतन	2,06,53,638		शैक्षिक	10,67,367	
(ii) अन्य प्रभार	24,49,566		परीक्षा	4,50,123	
		2,31,03,204	अन्य शुल्क	127,205	
ख. महाविद्यालय			3. छात्रावास	5,61,585	
(i) वेतन	21,55,498				22,06,280
(ii) अन्य प्रभार	3,69,597		4. भवनों भूमि एवं सम्पत्तियों से आय		
		25,25,095	भवन	3,36,839	
ग. सामान्य शिक्षा केन्द्र			भूमि		
(i) वेतन	1,95,785		उद्यान	3,22,917	
(ii) अन्य प्रभार	26,408				6,59756
		2,22,193	5. प्रकाशन		33,863
3. परीक्षाएँ			6. अन्य विभाग		
(i) वेतन	1,47,478		भवन विभाग	2,184	
(ii) अन्य प्रभार	9,58,605		सम्पत्ति विभाग	1,838	
		11,06,083			4,022
4. पुस्तकालय			7. विद्युत विभाग (सहायक सेवाएँ)		
(i) वेतन	8,17,633		विद्युत प्रदाय सेवाएँ		26,09,486
(ii) अन्य प्रभार	19,60,474				
		27,78,107			
5. छात्रों को सुविधाएँ					
(i) वेतन	4,16,184				
(ii) अन्य प्रभार	2,52,056				
		6,68,240			

आय एवं व्यय खाता 1977–78

व्यय	वास्तविक आंकड़े 1977–78		आय	वास्तविक आंकड़े 1977–78	
	रु०	रु०		रु०	रु०
		(क) अनुरक्षण	अनुदान खाता		
6. अधिछात्रवृत्तियां, छात्रवृत्तियां आदि			8. प्रकीर्ण		1,49,710
(क) अधिछात्रवृत्ति	6,61,995		9. विद्यालय		
(ख) छात्रवृत्ति	1,58,060		छात्रों से प्राप्त शुल्क	1,02,648	
(ग) छात्रवृत्ति	15,856		छात्रावास	12,292	
		8,35,911	प्रकीर्ण	69,381	
7. छात्रावास					1,84,321
(i) वेतन	41,10,030				
(ii) अन्य प्रभार	2,80,323		योग—मुख्य विश्वविद्यालय		6,57,44,126
		43,90,353			
8. प्रकाशन			10. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय चिकित्सालय		
(i) वेतन	89,935		प्रकीर्ण प्राप्तियां		1,50,793
(ii) अन्य प्रभार	23,899				
		1,13,834	महायोग		6,58,94,919
9. अन्य विभाग					
(i) वेतन	26,04,546				
(ii) अन्य प्रभार	28,63,820				
		54,68,366			
10. विद्युत (सहायक सेवाएं)					
(i) वेतन	6,70,513				
(ii) अन्य प्रभार	20,76,900				
		27,47,413			
11. प्रकीर्ण					
(i) अवकाश वेतन	19,74,635				
(ii) अन्य प्रभार	13,66,304				
		33,40,939			
2. अनुरक्षण (स्कूल)					
(i) वेतन	24,91,938				
(ii) अन्य प्रभार	1,88,444				
		26,80,382			

13. भविष्य निधि एवं निवृत्ति वेतन			
( ) भविष्य निधि	3,95,192		
(ii) निवृत्ति वेतन	6,65,377		
(iii) उपदान	2,50,478		
		13,11,047	
योग—मुख्य विश्वविद्यालय		6,07,53,383	
14. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय चिकित्सालय			
(i) वेतन	32,21,311		
(ii) अन्य प्रभार	12,25,006		
		44,46,317	
योग		6,51,99,700	
व्यय से आय की अधिकता		6,95,219	
योग—अनुरक्षण अनुदान खाता		6,58,94,919	6,58,94,919

एस० शफ़ीक अहमद
सहायक लेखा अधिकारी (लेखा)
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़

(सुरेन्द्र पाल)
वित्त अधिकारी
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़

आय एवं व्यय खाता 1977-78

व्यय	वास्तविक आंकड़े 1977-78		आय	वास्तविक आंकड़े 1977-78	
	रु०	रु०		रु०	रु०
		(ख) विकास	अनुदान खाता		
I. पंचम संयोजित योजनाएँ			I. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से पंचम योजना हेतु सहायक अनुदान		2,20,450
उच्च शिक्षा एवं शोध विकास			II. विशेष विकास योजनाएँ		7,14,000
शैक्षिक विभाग			III. सतत तृतीय योजनागत विकास योजनाएँ		75,000
वेतन एवं भत्ते	6,02,246		IV. प्रकीर्ण योजनाओं हेतु सहायक अनुदान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा भारत शासन		6,85,568
अन्य प्रभार	1,61,300				
		7,63,546	योग—आय		16,95,018
II. विशेष विकास योजनाएँ			व्यय की आय से अधिकता		5,35,127
वेतन एवं भत्ते	2,92,961				
अन्य प्रभार	1,99,384				
छात्रवृत्ति एवं अधिछात्रवृत्ति	3,66,488				
		8,58,833			
III सतत तृतीय योजनागत विकास योजनाएँ					
वेतन एवं भत्ते	1,44,720				
अन्य प्रभार	27,427				
		1,72,147			
IV. प्रकीर्ण योजनाएँ					
विश्वविद्यालय स्तर पर पुस्तकों की रचना	14,568				
शिक्षकों को वित्तीय सहायता	17,498				
सेवानिवृत्त शिक्षकों की सेवाओं का उपयोग	48,377				
ग्रीष्म संस्थान/विद्यालय	24,366				
विचार गोष्ठी/परिसंवाद तथा सम्मेलन	37,851				
शिक्षकों को यात्रा अनुदान	34,905				
अनिर्दिष्ट अनुदान	96,823				
अन्य योजनाएँ	1,61,231				
		4,35,619			
योग—व्यय		22,30,145	योग		22,30,145

ह० (के० ए० सिद्दीकी)
सहायक लेखा अधिकारी (अनुदान)

ह० (सुरेन्द्र पाल)
वित्त अधिकारी

तुलन पत्र 31 मार्च, 1978

दायित्व	खाता	खाता	परिसंपत्त	खाता	खाता
सामान्य खाता—	रु०	रु०	विनियोजन—	रु०	रु०
			नियोजन (विनियोग)		
स्थाई सन्दान निधि—			राजकीय प्रतिभूतियां	69,98,798	
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अधिनियम 1920 ई० के नियम 40 की धारा 7 के अन्तर्गत लगाए धन का पंजीकृत मूल्य		30,00,000	सावधि निक्षेप आदि	2,30,28,177	
					3,00,24,975
स्थायी आरक्षित निधि—			भवन		7,90,75,065
हस्तांतरित अवशेषों तथा दान का पंजीकृत मूल्य		20,00,000	पुस्तकें		67,30,188
			उपकरण		2,80,92,119
विशेष चल आरक्षित निधि—			उपस्कर		36,22,082
दान का पंजीकृत मूल्य एवं अनुदान		10,39,052			
चल आरक्षित निधि—			प्रकीर्ण अग्रिम तथा विकलन अवशेष		
दान आदि का पंजीकृत मूल्य		3,74,730	सामान्य निधि खाता		
			स्थाई अग्रिम		49,197
न्यास निधि			शेष देय		1,82,297
दान का पंजीकृत मूल्य	5,98,885		अन्तर निधि अग्रिम		7,26,966
निधि की अविनियोजित ब्याज का अवशेष	1,80,667				
प्रकीर्ण न्यास	6,764				
		7,86,316			
			आय व्यय खाते में न्यूनता—		
प्रकीर्ण निधि—			1950-51 से संचित न्यूनता	9,30,450	
अवमूल्यन निधि	1,91,073		1951-52 से न्यूनता		
भवन निधि	1,23,25,534		1976-77 तक न्यूनता रु० 17,14,119		
अधियांत्रिक महाविद्यालय निधि	9,43,845		अधिकता 1977-78 (−) 8,42,230	8,71,889	
महिला महाविद्यालय निधि	23,560		(6,95,219+1,47,011) रु०		18,02,339
		1,34,84,012			
			विकास अनुदान खाता—		
प्रकीर्ण आरक्षण एवं आकलन शेष			अधिक व्यय		
उन कर्मचारियों का जिन्होंने निवृत्त वेतन का विकल्प लिया है उनकी भविष्य निधि की साख पर विश्वविद्यालय अंशदान		37,29,670	(i) अजमल खां तिब्बया महाविद्यालय में साहित्यक अन्वेषण एकक की भारत सरकार की योजना के अन्तर्गत अनुदान	22,744	
राष्ट्रीय सेवा योजना		99,272	(ii) अजमल खां तिब्बया महाविद्यालय में यूनानीऔषधि में अन्वेषण की भारत सरकार की योजना	25,733	
छात्र की सहायतार्थ निधि		34,319			
अन्तर निधि अग्रिम		78,63,433			48,477
वेतन मान के पुनरीक्षण हेतु अनुदान		20,23,436			

तुलन पत्र 31 मार्च, 1978

दायित्व	खाता	खाता	परिसंपत्त	खाता	खाता
	रु०	रु०		रु०	रु०
निलम्बित एवं प्रकीर्ण खाते		8,67,429	अन्तर निधि अग्रिम		75,66,025
अनिवार्य बचत योजना		52,008			
विकास अनुदान खाता			निक्षेप खाता—		
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से पूंजीगत अनुदान	5,73,98,938		जम्मू एवं कश्मीर द्वारा हिन्दी एवं उर्दू में दी		
भवन			गई छात्रवृत्तियों पर अधिक व्यय		12,713
पुस्तकें	73,38,402		अग्रिम तथा ऋण		8,56,554
उपकरण	3,06,96,550		अन्तर निधि अग्रिम		95,325
उपस्कर	37,54,438				
		9,91,88,228	आयुर्विज्ञान महाविद्यालय निधि—		
छात्रवृत्ति एवं अधिछात्रवृत्ति अनुदान			आयुर्विज्ञान अध्ययन हेतु अग्रिम		7,040
भारत सरकार, आई०सी०ए०आर० और	2,17,818		अन्तर निधि अग्रिम		1,59,063
आई०सी०सी०आर० आदि					
			डा० वली मौहम्मद वक्फ निधि—		
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग	4,19,938		आय खाते में संचित मूल्य न्यूनता		4,242
विज्ञान-उद्योग-अनुसंधान परिषद्	5,99,787				
		12,37,543	स्वर्ण जयन्ती निधि—		
प्रकीर्ण अनुदान			आय व्यय खाते में संचित मूल्य न्यूनता		10,281
इल्मुल अदविया में स्नातकोत्तर पाठ्क्रम हेतु					
भारत सरकार से प्राप्त अनुदान निक्षेप लेखा		19,763	भविष्य निधि खाता		
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अनुदान—			गृह निर्माण हेतु अग्रिम		73,86,047
विद्यालय के उपकरण क्रय करने हेतु अनुदान	4,467		अन्तर निधि अग्रिम		44,000
मोबाइल केयर यूनिट	1,31,411				
		1,35,878			
अन्तर निधि अग्रिम		3,45,329	रोका बही के अनुसार शेष		
प्रर्याप्त एवं निलम्बित खाता		11,46,470	सामान्य खाता		
अनुदानों का अवशेष		17,14,435			
निक्षेप खाता—			स्टैट बैंक अलीगढ़	5,60,165	
सरकार तथा अन्य एजेन्सी द्वारा अनुदान			स्टेट बैंक आफ इंडिया (कराची)	731	
फोर्ड फाउन्डेशन	21,94,321				5,60,896
कुवैत सरकार	1,00,000		विकास अनुदान खाता		27,18,879
शाह ईरान अनुदान	1,08,817		निक्षेप खाता		2,70,212
शाह सउद अनुदान	1,41,545		आयुर्विज्ञान महाविद्यालय निधि		13,391
जम्मू कश्मीर शासन का अनुदान	6,96,820		डा० वली मौहम्मद वक्फ निधि		14,024
		32,14,503	स्वर्ण जयन्ती निधि		1,738

प्रकीर्ण अनुदान एवं निक्षेप—			भविष्य निधि खाता		
पी० एल० 480 कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान	92,682		डाक घर बचत खाता	23,81,997	
जमानतें का निक्षेप खाता	5,10,069		स्टेट बैंक आफ इण्डिया	3,58,740	
प्रकीर्ण आरक्षण एवं आकलन आवशेष	4,41,570		इलाहाबाद बैंक अलीगढ़	64,999	
उपकुलपति निधि	5,66,312				28,05,736
		16,10,633			
अन्तर निधि अग्रिम		2,97,673			
आयुर्विज्ञान महाविद्यालय निधि—					
दोनों का पूंजीकृत मूल्य		60,92,324			
डा० वली मौहम्मद वक्फ अनुदान—					
दोनों का पूंजीकृत मूल्य		1,82,000			
स्वर्ण जयन्ती निधि—					
दोनों का पूंजीकृत मूल्य		1,20,305			
भविष्य निधि खाता—	2,21,70,045				
वापसी हेतु प्रत्याप्तियां	24,064				
		2,21,94,109			
महा योग		17,28,79,871	महा योग		17,28,79,871

ह० (एम० शफ़ीक अहमद)
सहायक लेखा अधिकारी (लेखा)
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़

ह० (सुरेन्द्र पाल)
वित्त अधिकारी,
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़

लेखा परीक्षा प्रमाण पत्र

मैंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ के 31 मार्च, 1978 को समाप्त होने वाले वर्ष के लेखाओं और तुलन-पत्र की जांच कर ली है। मैंने सम्पूर्ण अपेक्षित सूचना और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिये हैं और संलग्न लेखा परीक्षा रिपोर्ट में उल्लिखित टिप्पणियों के अधीन अपनी लेखा परीक्षा के परिणाम स्वरूप मैं प्रमाणित करता हूं कि मेरी राय में और मुझे प्रस्तुत की सूचनाओं और स्पष्टीकरणों तथा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की बहियों में प्रदर्शित लेखों के अनुसार ये लेखे और तुलन-पत्र उपयुक्त रूप से तैयार किये गये हैं और यह विश्वविद्यालय के कार्यकलाप का सही और उचित रूप प्रस्तुत करते हैं।

(ह०) एम० एम० मेहता
महालेखाकार—प्रथम
उत्तर प्रदेश

इलाहाबाद
दिनांक 9-9-1980

बैंक समाधान विवरण मार्च, 31 1978

	सामान्य खाता	विकास अनुदान खाता	भविष्य निधि	निक्षेप खाता	आयुर्विज्ञान महा-विद्यालय निधि
	रु०			रु०	रु०
खातों के अनुसार अवशेष	+5,60,165	+27,18,879	+3,58,740	+2,70,212	13,391
कटौती					
पारगन में प्रेषित धन	—8,96,615	—22,04,589	—4,94,843	—1,30,380	—
बैंक द्वारा अशुद्ध अवर्गीकृत विकलन	—16,55,822	—3,70,843	—825	—1,18,770	—
योग	—19,92,272	+1,43,477	—1,36,928	+21,062	13,391
जमा—					
बिना भुगतान के धानादेश	+56,71,392	+22,45,017	+2,86,177	+1,26,507	—
बैंक द्वारा अवर्गीकृत याकलन	+4,91,485	+91,546	+2,575	+32,602	—
बैंक विवरण के अनुसार अवशेष	+41,70,605 सी०आर०	+24,80,040	+1,51,824	(+) 1,80,171	(+) 13,391

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के लेखाओं पर वर्ष 1977-78 हेतु महालेखाकार, उत्तर प्रदेश का लेखा सम्प्रेक्षा प्रतिवेदन

1. प्रस्तावना

विश्वविद्यालय का वित्त पोषण मुख्यतः विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, भारत सरकार एवं राज्य सरकार के द्वारा होता है। धर्मदाय एवं विनियोग, भवन एवं भूमि, शैक्षिक शुल्क एवं छात्रों से प्राप्त छात्रावास प्राप्तियां, मेडिकल कालेज हस्पताल की प्राप्तियां इत्यादि इसकी राजस्व प्राप्तियों के रूप में वर्गीकृत की जाती हैं। वर्ष 1977-78 की प्राप्तियां एवं भुगतान का विस्तृत विवरण निम्नवत् है।

आय	(लाख रुपयों में)		व्यय	(लाख रुपयों में)	
1	2		3	4	
1. प्राप्त अनुदान—			1. पूंजी—		
(i) वि० अ० आयोग से	585.46		(i) उपस्कर	32.90	
(ii) राज्य सरकार से	2.62		(ii) भवन	11.92	
		588.08	(iii) पुस्तक	11.41	
			(iv) फर्नीचर	00.85	
					57.08
2. धर्मदाय विनियोग से प्राप्त आय		10.88	2. राजस्व व्यय— —		
3. भूमि एवं भवनों से होने वाली आय		6.60	वेतन भत्ते एवं		
4. अकादमिक प्राप्तियां		18.29	सामान्य व्यय		353.13
5. छात्रावास प्राप्तियां		5.62	3. अकादमिक व्यय		72.33
6. मेडिकल कालेज अस्पताल की प्राप्तियां		1.51	4. छात्रावास		43.90
7. विभिन्न प्राप्तियां		27.97	5. फैलोशिप्स एवं छात्र वृत्तियां		8.36
8. विभिन्न योजनाओं हेतु वि० अ०			6. मेडिकल कालेज अस्पताल		44.46
आ० एवं भारत सरकार से प्राप्त			7. विभिन्न व्यय		116.71
अनुदान:—			8. भविष्य निधि एवं पेंशन		13.11
(i) आवर्ती	16.95		9. विकास अनुदान		22.30
(ii) अनावर्ती	68.50		10. अनुदान के शेष का उपयोग—		
		85.45	(i) अनुरक्षण	6.95	
			(ii) पूंजी	11.42	
				18.37	
			विकास	(—) 5.35	
					13.02
योग		744.40	योग		744.40

2. अभिलेखों की अप्रस्तुति

विश्वविद्यालय द्वारा 1977-78 का लेखा मई 1979 में पूर्ण हो गया था जिसकी लेखा परीक्षा 3 सितम्बर से 14 नवम्बर तक सम्पन्न हुई। लेखा परीक्षा की समाप्ति तक इस प्रतिवेदन के परिशिष्ट 'क' में उल्लिखित अभिलेखों की सम्बन्धित विभागों ने लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किया था।

लेखा परीक्षा के दौरान विभिन्न विभागों को 724 लेखा परीक्षा टिप्पणियां जारी की गयीं थीं। लेखा परीक्षा की समाप्ति (नवम्बर 79) तक विश्वविद्यालय ने कुल 674 का उत्तर प्रस्तुत किया, तथा 40 टिप्पणियो के जनवरी 80 में प्राप्त हुए। 10 टिप्पणियों के उत्तर अभी भी प्राप्त होने हैं। (अप्रैल 80) अतः इस आख्या की टिप्पणियों को अन्तिम स्वरूप प्रदान करना एवं निर्गत करना पूर्व वर्णित कारणों के सीमाधीन है।

3. वार्षिक लेखे पर टिप्पणी

(I) नगद अवशेष—

	रुपया
(1) सामान्य निधि लेखा	5,60,896
(2) विकास अनुदान लेखा	27,18,879
(3) निक्षेप लेखा	2,70,212
(4) भविष्य निधि लेखा	28,05,736

विश्वविद्यालय द्वारा 31 मार्च 1978 तक पुस्तकों से मिलान किये जाने के फलस्वरूप निम्नलिखित तथ्य सामने आये—

(अ) 37.26 लाख रुपये (1977-78 के 28.63 लाख रुपये सहित), जो विश्वविद्यालय के द्वारा 1959-60 में बैंक में जमा दिखाये गये थे परन्तु बैंक के खाते में नहीं प्रदर्शित किये गये।

(ब) 1965-66 एवं 1977-78 के मध्य बैंक द्वारा विश्वविद्यालय के हित में निकाले गये 21.46 लाख रुपयों को विश्वविद्यालय के लेखे में नहीं लिया गया।

(स) 1967-68 एवं 1977-78 के मध्य बैंक द्वारा विश्वविद्यालय के लेखे में जमा किये गये 6.18 लाख रुपयों को विश्वविद्यालय के लेखे में नहीं प्रदर्शित किया गया।

(द) विश्वविद्यालय द्वारा 1964-65 एवं 1977-78 के बीच जारी किये 83.29 लाख रुपये के चैक (48.01 लाख के 1977-78 के चैकों सहित) मार्च 1978 तक बिना भुगतान कराये पड़े रहे। इस प्रकार के कालावधित चेकों को विश्वविद्यालय द्वारा निरस्त भी नहीं किया गया था (नवम्बर 1979)।

लगभग दो दशाब्दियों की विभिन्न मदों में भारी अन्तर होने के बावजूद भी इसको ठीक करने एवं इसके विश्लेषण हेतु कोई कदम नहीं उठाये गये, इस गम्भीर स्थिति के द्वारा जाली चैकों पर 2.22 लाख रुपयों के कपट पूर्ण आहरणों का पता नहीं लग सका जैसा कि 1972-73 के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में कहा गया था।

विश्वविद्यालय ने बताया (मार्च 1980) की निम्नलिखित सीमा तक समन्वय किया गया है।

	अन्तर लाख रुपयों में	मिलान की गयी राशि लाख रुपयों में	मिलान प्रतीक्षित राशि लाख रुपयों में
(अ)	37.26	28.16	9.10
(ब)	21.46	5.27	16.19
(स)	6.18	1.83	4.35
(द)	83.29	59.15	24.14

(II) अग्रिम—

1961-62 एवं 1977-78 के मध्य विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों एवं अधिकारियों को क्रय/आकस्मिक व्यय/व्यक्तिगत अग्रिमों के रूप में दिये गये 98.29 लाख रुपये के अस्थाई अग्रिम जिनका विवरण निम्नवत् है, उपयुक्त समायोजन के अभाव में अभी भी बकाया पड़े हैं। यद्यपि सम्बन्धित विभागों एवं अधिकारियों ने समायोजन वाऊचर जमा कर दिये थे।

वर्ष	अग्रिमों की संख्या	राशि (लाख रुपयों में)
1961-62 से 1970-71	592	14.42
1971-72 से 1975-76	1,258	31.68
1976-77 से 1977-78	2,163	52.19
योग	4,013	98.29

विश्वविद्यालय ने बताया (मार्च 80) अग्रिम धनराशि को केन्द्रीय लेखा अनुभाग में संवीक्षित किया जा रहा है और जनवरी 1980 तक 2.00 लाख रुपये की 64 मदों का समायोजित किया जा चुका है।

(III) लेखे का सम्मिलित न किया जाना—

1975-76 एवं 1976-77 के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों में उल्लेख किया गया था कि विश्वविद्यालय के प्रेस एवं दवाखाना, तिब्बिया कालेज, जो विश्वविद्यालय के अनिवार्य अंग हैं के लेखे इसके वार्षिक लेखे में शामिल नहीं किये जा रहे थे। ये लेखे विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखे से लगातार असम्मिलित किये जा रहे हैं एवं उन्हें लेखा परीक्षा के लिये उपलब्ध भी नहीं कराया गया।

विश्वविद्यालय के लेखे में इन लेखे को शामिल किये जाने का प्रश्न कार्यकारिणी परिषद के विचाराधीन बताया गया। (जुलाई 1979) इस सम्बन्ध में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है (मई 1980)

IV. अनुदान

(1) 31 मार्च 1978 को विश्वविद्यालय के पास उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिये या जिनके लिये वे अनुदान देने वालों (भारत सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग व अन्य) द्वारा दिये गये थे। 100.46 लाख रुपये का अनुदान था। अप्रयुक्त अनुदानों की सीमा जो 1951-66 के दौरान 8.81 लाख रुपये थी वर्तमान स्तर तक बढ़ गयी है। आडिट में यह भी पाया गया कि

1973-74 में समाप्त होने वाली अवधि (जो 1951 से शुरु हुई थी) का 34.53 लाख रुपये अप्रयुक्त थे तथा बहुत से अनुदानों के सम्बन्ध में वर्षों तक कोई लेन देन नहीं हुआ।

अप्रयुक्त अनुदानों की सीमा अनुदाताओं को सूचित नहीं की गयी। विश्वविद्यालय ने बताया (मार्च 1980) की कुछ मामलों में अप्रयुक्त अवशेषों का कारण अन्तिम बिलों का न प्राप्त होना है। तथा अवशेष वापस इसलिये नहीं किये गये कि अनुदाताओं ने इसके लिये अनुरोध नहीं किया।

(2) अनुदानों की अतिरिक्त व्यय राशियां—

वर्ष 1977-78 के अन्त तक विश्वविद्यालय ने भारत सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एवं अन्य स्रोतों से प्राप्त अनुदानों से 25.97 लाख रुपये अतिरिक्त व्यय किए जिसका विवरण निम्नलिखित है—

पंचवर्षीय योजनाएं		अतिरिक्त व्यय (लाख रुपयों में)		
		विकास अनुदान	आवर्ती अनुदान	योग
I II III	(1951–66)	5.06	0.83	5.89
IV	(1969–74)	6.19	—	6.19
V	(1974-75 से 1977-78)	4.80	3.80	8.60
विविध		—	5.29	5.29
	योग	16.05	9.92	25.97

विश्वविद्यालय ने बताया कि (मार्च 1980) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्वीकृत के आधार पर व्यय किए जाते है। परन्तु स्वीकृत वर्ष में निधि न प्राप्त होने के फलस्वरूप अतिव्यय हुआ जिसको अनुदान प्राप्त होते ही समायोजित कर लिया गया। विलम्ब से प्राप्त अनुदान जिनको अनुपयुक्त अनुदान के रूप में रखे जाने (पूर्व अनुच्छेद में वर्णित) का आकलन नहीं हुआ। फलस्वरूप अनुपयुक्त अनुदान अत्यधिक व्यय को वस्तु स्थित अभिलेख द्वारा नहीं जाती जा सकी।

5. परिचारिका आवासों का निर्माण:—

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुमोदन से 20 नर्स आवासों के निर्माण हेतु (अनुमानित लागत रु० 5.98 लाख) विश्वविद्यालय ने अप्रैल 1972 में 6 लाख के संस्वीकृत अनुदान के विरुद्ध पूर्ण मद दर निविदा आमंत्रित किया। न्यूनतम निविदाओं की प्रथम एवं द्वितीय तुलनात्मक स्थिति निम्न प्रकार थी।

	प्रथम न्यूनतम पूर्ण कार्य हेतु	लिये गये कार्य हेतु	द्वितीय न्यूनतम पूर्ण कार्य हेतु	लिये गये कार्य हेतु
छूट की कटौती के पूर्व निविदा की हुई राशि	7,02,267	5,31,483	6,94,500	5,30,950
छूट को निकालकर (प्रथम न्यूनतम) 6 प्रतिशत द्वितीय न्यूनतम 2.75 प्रतिशत	42,136	31,889	18,869	14,601
निविदा की निवल राशि	6,60,131	4,99,594	6,75,631	5,16,349

न्यूनतम निविदा धारक को इस आधार पर अस्वीकृत कर दिया गया था कि कुछ मदों के लिये उसकी दरें अव्यवहारिक मानी गई। (यद्यपि ये अनुमानित दरों से अधिक थी) और वह विश्वविद्यालय द्वारा दिये गये अन्य कामों में पहले से व्यस्त था। नवम्बर 1972 में कार्य को द्वितीय न्यूनतम निविदा धारक को दस महीनों के भीतर पूरा करने के लिये दिया गया था।

कार्य एक नवम्बर 1972 को प्रारम्भ हो गया था और यद्यपि करारनामे को सात दिनों के भीतर पूरा करना था किन्तु यह वास्तव में मार्च 1973 में पूरा किया गया था इसी बीच फरवरी 1973 में ठेकेदार ने सीमेंट की अनुपलब्धता के कारण कार्य बन्द कर दिया था, जो एक नियंत्रित वस्तु हो गई थी।

यद्यपि करारनामे में खासतौर से दिया गया था कि किसी भी परिस्थिति में बाजार में उतार चढ़ाव की स्थितियों के कारण किसी दावे को माना नहीं जायेगा, विश्वविद्यालय ने मई (1974) एक वर्ष की समाप्ति पर सीमेन्ट की अनुपलब्धता के आधार पर दरों में 12 प्रतिशत की वृद्धि को अनुमोदित कर दिया जो फरवरी 1973 में एक नियंत्रित वस्तु बन गई तथापि ठेकेदार ने कार्य को दोबारा शुरु नहीं किया जो पांच वर्ष तक (फरवरी 1973 से जनवरी 1978 तक) रुका पड़ा रहा और समय के अन्तराल के साथ ठेकेदार दरों में अधिक वृद्धि की मांग करता रहा। अन्ततः (फरवरी 1978) विश्वविद्यालय ने 28 प्रतिशत तक के अन्तर को अनुमोदित कर दिया और फरवरी 1978 में कार्य पुनः प्रारम्भ हुआ।

विश्वविद्यालय ने करारनामे में शर्तों को लागू नहीं किया जो उसे ठेकेदार के हाथों से कार्य को छीनने और उसे विभागीय रूप से अथवा किसी अन्य अभिकरण द्वारा पूरा करने तथा यदि कोई, अतिरिक्त लागत आती है तो उसे ठेकेदार के नाम खाते में करने का अधिकार देता है।

उपर्युक्त 23 प्रतिशत का अन्तर ठेकेदार को पांचवीं (मई 1979 तक) चालू खाता बिल के भुगतान तक रु० 0.78 लाख के व्यय के रूप में फलीभूत हुआ था और अन्तिम रूप से रु० 1.49 लाख कुल अतिरिक्त लागत आयेगी।

6. शोध वृत्ति

जुलाई 1977 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने वर्ष 1977-78 के दौरान प्रति माह प्रत्येक रु० 525/– की 80 जूनियर शोध वृत्तियां इस शर्त पर संस्वीकृत किया कि किसी एक समय में वृत्तियों की संख्या 80 से अधिक नहीं होनी चाहिए जिसमें पहले से कार्यरत वर्तमान शोध छात्रों के साथ-साथ वर्ष के दौरान नियुक्त/नियुक्त होने वाले नये शोध छात्र भी शामिल होंगे आबंटन से अतिरिक्त व्यय विश्वविद्यालय को अपने निजी संसाधनों द्वारा वहन करना था। नवम्बर 1977 में विश्वविद्यालय ने आयोग से किसी एक समय में 80 वृत्तियों की सीमा को हटाने के लिये अनुरोध किया, जबकि गत वर्ष 140 वृत्तियां पहले ही प्रदान की गई थीं। तथापि, विश्वविद्यालय ने आयोग की संस्वीकृति के भीतर वृत्तियों को सीमित नहीं किया और न उसके उत्तर की ही प्रतीक्षा किया। इसके विपरीत दिसम्बर, 1977 में 50 नई वृत्तियों को प्रदान कर कुल संख्या 190 तक बढ़ा दिया।

फरवरी 1978 में आयोग ने उसी आधार पर किसी एक समय में कुल संख्या को 100 तक सीमित करते हुये वृत्तियों की संख्या 80 से बढ़ा कर 100 कर दिया। आयोग की संशोधित संस्वीकृत से 90 वृत्तियां अधिक प्रदान कर विश्वविद्यालय ने वर्ष 1977-78 की अवधि में रु० 5.67 लाख का अतिरिक्त व्यय किया जो आयोग के पूर्ववर्ती वर्षों के उक्त आशय के अनुदानों से पूरा किया गया, विश्वविद्यालय के निजी संसाधनों द्वारा नहीं, जैसी आयोग ने अपेक्षा की थी।

विश्वविद्यालय ने (मार्च 1980) बताया कि मई 1978 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालय को विगत वर्षों के अनुदानों के बचे हुये शेष को, 100 छात्र वृत्तियों की संख्या को सुरक्षित रखते समय अतिरिक्त व्यय को वहन करने के लिये अग्रेनीत करने की अनुमति उन अनुदानों के साथ प्रदार कर दी जो वर्ष 1978-79 के दौरान संस्वीकृत होने वाले हैं।

फिर भी बचे हुए अनुदानों को निर्धारित अधिकतम सीमा से अधिक छात्रवत्तियों पर व्यय हेतु उपयोग में लाया गया था। विश्वविद्यालय का यह कार्य नियमानुकूल नहीं था और किये गये अतिरिक्त व्यय को विश्वविद्यालय के निजी संसाधनों से आयोग को लौटाया जाना अपेक्षित होगा।

7. प्रशिक्षण एवं उत्पादन केन्द्र

मई 1976 में भारत सरकार एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को 10.58 लाख रुपये लागत की एक योजना (छोटे पैमाने पर सहायक उद्योग के रूप में चलाया जाय) प्रशिक्षिण एवं उत्पादन केन्द्र स्थापित करने के लिये प्रस्तुत की गयी, जिसका उद्देश्य छात्रों में उदयशीलता को बढ़ावा देना था। आयोग ने 8.48 लाख रुपया के अनुदान को जून 1977 में तुरन्त संस्वीकृत दी और अविलम्ब 6.50 लाख रुपया प्रदान कर दिये। दिसम्बर 1977 से जुलाई 1978 तक विश्वविद्यालय ने 5.84 लाख रुपये मशीनें खरीदने में खर्च किये (5.78 लाख रुपये मशीनरी एवं 0.06 लाख रु० विविध)। तत्पश्चात आगे की खरीद स्थगित कर दी गयी क्योंकि सारी योजना अधिशासी समिति के अधीन समीक्षा हेतु आ गयी। खरीदी गयी मशीन लगाई नहीं गई और केन्द्र के लिये कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं की गयी (नवम्बर 1979)।

केन्द्र द्वारा कार्यारम्भ हेतु 5.00 लाख रुपयें की पूंजी के अभाव में उत्पादन कार्य शुरु नहीं किया जा सका। तथापि अधिशासी समिति ने इस हेतु 0.50 लाख रुपये का ऋण संस्वीकृत किया जिसमें से केन्द्र को 0.25 लाख रुपये उपलब्ध कराये गये।

विश्वविद्यालय ने बतलाया (नवम्बर 1979) कि अधिशासी समिति ने न तो समीक्षा पूर्ण की और न उसने केन्द्र के लिये बैंकरों की नियुक्ति (जो कार्यारम्भ हेतु पूंजी के लिये ऋण दे सकते) वित्तीय/अधिशासी नियमावली, वेतन/मजदूरी के आधार आदि को मंजूरी, दी जिसके अभाव में केन्द्र कार्य नहीं कर सका।

अस्तु 5.84 लाख रुपये के ऋण व्यय के उपरान्त योजना खटाई में पड़ी रह गयी।

8. एम्बुलैंस

नवम्बर 1977 में ढांचा निर्माण व्यय की (0.26 लाख रुपये) को मिला कर विश्वविद्यालय ने 0.84 लाख रुपये में एक एम्बुलैंस खरीदी। उस एम्बुलैंस में अस्पताल के जातकों ने अनेक खराबियां पायीं जिसकी रिपोर्ट मई 1978 में उन सब ने की। विश्वविद्यालय अभियंत्रण विद्यालय, मेकेनिकल विभाग के, सहप्राध्यापक ने सितम्बर 1978 में ही रिपोर्ट किया था कि यह एम्बुलैंस गाड़ी विभिन्न गाड़ियों के हिस्से को मिलाकर तैयार की गयी है। यह असल कम्पनी की नहीं है तथा सड़क पर लाने लायक नहीं है।

विश्वविद्यालय ने बतलाया (मार्च 1980) कि विश्वविद्यालय जांच समिति द्वारा मामले की जांच की जा रही है जो अपनी आख्या तीन महीने के भीतर प्रस्तुत कर देगी।

9. पुस्तकालय वातानुकूलन यंत्र

नवम्बर 1962 में मौलाना आजाद पुस्तकालय की पाण्डुलिपियों और दुर्लभ पुस्तकों के लिये 5 टन पैकेज के चार वातानुकूलित यन्त्रों को 0.72 लाख रुपये की लागत से लगाने का अनुबंध लखनऊ की एक कम्पनी के साथ किया गया। इस 0.72 लाख रुपये में सामान पहुंचने के साथ 75 प्रतिशत, 15 प्रतिशत कार्य पूरा होने पर और शेष 10 प्रतिशत विश्वविद्यालय को संयंत्र लगाने की तिथि के उपरान्त एक वर्ष की गारंटी अवधि पूर्ण होने पर भुगतान होना था।

नवम्बर 1962 और मई 1963 के बीच चार वातानुकूल यंत्र लग गये। संयंत्र का कार्य निबादन मई और जुलाई 63 में प्रदर्शित किया गया और विश्वविद्यालय ने उसे प्रमाणित किया। परन्तु प्रमाण पत्र में विदित तथ्य के अनुसार जांच की कोई तिथि नहीं दी गयी थी। विश्वविद्यालय संयंत्र की अनेक खामियां बतलाता रहा तथापि पूरे मूल्य का 90 प्रतिशत 0.65 लाख रुपये का भुगतान कर दिया गया। यह भुगतान, विश्वविद्यालय की उस तदर्थ समिति से आपूर्ति एवं संयंत्र लगाने जांच को कराये बिना ही किया गया, जिसने मई 1962 में आपूर्ति दाता से आपूर्ति संतुल की थी। मई 1964 में गारण्टी अवधि पूरी होने के बाद आपूर्ति दाता शेष राशि 0.07 लाख रुपये के भुगतान पर जोर दे रहे हैं। वातानुकूलन संयंत्र का केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा मई 1967 में निरीक्षण किया गया जिसने कि बतलाया कि 5 टन की निर्धारित क्षमता की जगह दो इकाइयों की क्षमता क्रमशः 4 एवं 2.5 टन ही थी। अन्य इकाई की जांच नहीं हो सकी क्योंकि उससे गैस निकल रही थी और दूसरी इकाई कार्य करने की स्थिति में नहीं थी क्योंकि उसमें कुछ आन्तरिक गड़बड़ी थी। उनका यह भी मत था कि पहले की जांच एवं प्रदर्शन बाहर निम्न तापक्रम में किया गया था। यह परीक्षा विभिन्न तापक्रम एवं उसमें भी संयंत्र संतोषजनक कार्य करने की पर्याप्त गारण्टी नहीं हो सकती। उनके मतानुसार बताया गया संयंत्र स्तरीय नहीं था और वह अनुबंध में निर्धारित विशिष्ट, आवश्यकताओं की पुष्टि नहीं करता था।

मई 1963 और अगस्त 1970 के मध्य विश्वविद्यालय आपूर्ति दाता पर जोर दे रहा था कि वह संयंत्र को चालू करे और आपूर्ति दाता बकाया 0.07 लाख रुपये की राशि के भुगतान पर बल दे रहा था। आपूर्ति दाता के प्रतिनिधि पुस्तकालय के पुस्तकाध्यक्ष एवं विद्युत अभियंता से सितम्बर 70 में मिले और तकनीय सलाह देने, संयंत्र को चालू कर देने के लिये राजी हो गये। विश्वविद्यालय ने संयंत्र के अतिरिक्त हिस्से 0.02 लाख रुपये में खरीदे परन्तु आपूर्ति दाताओं ने अपने वायदे नहीं किये।

लखनऊ फर्म द्वारा आपूर्ति संयंत्र अब तक उपयोग में नहीं लाया जा सका। (नवम्बर 1979) पाण्डुलिपियों और दुर्लभ पुस्तकों के संग्रह की सुरक्षा की दृष्टि से विश्वविद्यालय ने दिल्ली की फर्म से 1.00 लाख रुपये में चार वातानुकूल यंत्र खरीदे।

10. विद्युत अभियंत्रण विभाग के लिये उपकरण

फरवरी, 1967 में, हाई वोल्टेज 150 केवीए, 30 केवीए सी० ट्रांसफार्मर, जांच उपकरण का एक सेट 0.56 लाख रुपये में खरीदा गया। परन्तु लगभग 13 वर्ष बाद भी, उसे न तो लगाया जा सका और न ही उसका उपयोग हो सका (नवम्बर 1979)।

विश्वविद्यालय ने बतलाया (मार्च 1980) कि स्थानाभाव के कारण उपकरण लगाये नहीं जा सके, क्योंकि इसके लिये बनने वाला भवन विशेष निर्माणाधीन है।

ह० (एम० एम० मेहता)
महालेखाकार प्रथम

परिशिष्ट 'क'

(1) 1974-75 से 1977-78 तक के विश्वविद्यालय मुद्रणालय के अभिलेख ।

(2) 1974-75 से 1977-78 तक के तिब्बिया कालेज दवाखाने के अभिलेख ।

(3) प्रतिरक्षा विभाग के सम्बन्ध जड़त किये गये वाऊचर ।

(4) मेडिकल कालेज के रबर के सामान एवं अन्य छोटी वस्तुओं की भन्डार पंजिका ।

(5) 48,758.81 रु० के वापसी के अभिलेख ।

(6) अगस्त 1975 में नियुक्त डी० डी० धींगरा समिति का प्रतिवेदन ।

(7) अन्तिम रूप से अपूर्ण कार्यों के वास्तुकला शुल्क के 1,10,538.44 रुपये के भुगतान से सम्बन्धित फाइलें ।

(8) 1972-73 की अनुबंधित पंजिका ।

STATE BANK OF INDIA

CENTRAL OFFICE

Bombay, the 1st July 1981

NOTICE

The following appointment on the Bank's staff is hereby notified :—

Shri R. Sreekrishnan has taken over charge as Chief Legal Adviser, Central Office, with effect from the 1st June 1981 in the rank of General Manager.

The 3rd July 1981

The following appointment on the Bank's staff is hereby notified :—

Shri Rajinder Kumar has assumed charge as Chief Officer (Subsidiary Banks), Central Office, Bombay as from the close of business on the 30th June 1981.

The 21st July 1981

The following appointment on the Bank's staff is hereby notified :—

Shri A. C. Roychowdhury has taken over charge as Chief Manager, Central Stationery Department, Calcutta, as from the close of business on the 9th July 1981 vice Shri R. H. Bhave.

The 22nd July 1981

The following appointment on the Bank's staff are hereby notified :—

Shri K. D. Nayar has taken over charge as General Manager (Corporate Operations), Central Office, with effect from the 13th July 1981.

Shri V. K. Mehrotra has assumed charge as Chief Officer (Public Relations), Central Office, with effect from the 14th July 1981.

R. P. GOYAL
Dy. Managing Director
(Personnel & Services)

LOCAL HEAD OFFICE

New Delhi-110001, the 29th July 1981

NOTICE

No. GMO/5376.—1. Shri O. P. Verma, Officer Senior Management Scale IV A, to be amended to read as Shri O. P. Verma, Officer Senior Management Scale IV, assumed charge as Manager (Accounts) New Delhi Main Branch wef 15-4-81.

2. Shri Trilok Singh, Middle Management III to be amended to read as Shri Trilok Singh, Middle Management II, assumed charge as Dy. Manager C/A, New Delhi Main Branch wef 15-1-81.

3. Shri D. G. Bafna, Officer, Middle Management Scale III assumed charge as Dy. Manager (Accounts) New Delhi Main Branch wef 23-2-81.

I. R. MEHRA
for General Manager (Operations)

EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION

New Delhi, the 6th August 1981

No. N.15/13/15/2/78-P&D(1).—In exercise of the powers conferred by sub-regulation (1) of Regulation 5 of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the

Director General has determined that in the areas specified in the Schedule given below, the first contribution and first benefit periods for Sets 'A', 'B' and 'C' shall begin and end in respect of persons in insurable employment on the appointed day of midnight of 25th July, 81 as indicated in the table given below :—

Se	First contribution period		First benefit period	
	Begins on midnight of	Ends on midnight of	Begins on midnight of	Ends on midnight of
A	25-7-81	30-1-82	23-4-82	29-10-82
B	25-7-81	26-9-81	23-4-82	25-6-82
C	25-7-81	28-11-81	23-4-82	27-8-82

SCHEDULE

"The areas covered by Mouza Saguna and Mouza Kulia within the jurisdiction of police Station of Kalyani in the District of Nadia, in the State of West Bengal."

No. N.15/13/15/2/78-P&D(2).—In pursuance of powers conferred by Section 46(2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95-A of the Employees' State Insurance (General Regulations, 1950, the Director General has fixed the 26*th July*, 1981 as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95-A and the *West Bengal* Employees' State Insurance (Medical Benefit) Rules, 1955, shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of *West Bengal* namely :—

"The areas covered by Mouza Saguna and Mouza Kulia within the jurisdiction of Police Station of Kalyani in the District of Nadia."

No. N.15/13/9/1/79-P&D(1).—In exercise of the powers conferred by Sub-regulation (1) of Regulation 5 of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director General has determined that in the areas specified in the Schedule given, below the first contribution and first benefit periods for Sets 'A' 'B' and 'C' shall begin and end in respect of persons in insurable employment on the appointed day of midnight of 25th July, 1981 as indicated in the table given below :—

Set	First contribution period		First benefit period	
	Begins on midnight of	Ends on midnight of	Begins on midnight of	Ends on midnight of
A . . .	25-7-81	30-1-82	13-4-88	29-10-82
B . . .	25-7-81	26-9-81	23-4-82	25-6-82
C . . .	25-7-81	28-11-81	23-4-82	27-8-82

SCHEDULE

1. The areas comprised within the Municipal revenue limits of Chandrapur.

2. The areas comprised within the revenue limits of the following villages in Chandrapur Taluka of District Chandrapur :

(i) Bhivkud, (ii) Devaigovindpur, (iii) Chanda Raitwari, (iv) Khutala, (v) Padoli, (vi) Chinchala, in the State of Maharashtra."

No. N.15/13/9/1/79-P&D(2).—In pursuance of powers conferred by Section 46(2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95-A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director General has fixed the 26*th July* 1981 as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 5-A and the *Maharashtra* Employees' State Insurance (Medical Benefit) Rules, 1954, shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of Maharashtra namely :—

1. The areas comprised within the Municipal revenue limits of Chandrapur.

2. The areas comprised within the revenue limits of the following villages in Chandrapur Taluka of District Chandrapur :

(i) Bhivkud, (ii) Devaigovindpur, (iii) Chanda Raitwari, (iv) Khutala, (v) Padoli, (vi) Chinchala.

FAQIR CHAND
Director (P&D)

ALIGARH MUSLIM UNIVERSITY GENERAL ACCOUNTS AND BALANCE SHEET, 1977-78

INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNTS FOR THE YEAR 1977-78

Expenditure	Actuals for 1977-78		Income	Actuals for 1977-78	
	Rs.	Rs.		Rs.	Rs.
		(A) Maintenance	Grant Account—		
1. Administration—			**1. Endowments and Grants—**		
(i) Salaries	43,29,337		A. Income from Investments—	..	10,88,390
(ii) Other Charges	8,98,379		B. Grants—		
(iii) Common Services and General Charges	42,34,500	94,62,216	University Grants Commission	5,85,46,298	
			State Government	2,62,000	5,88,08,298
2. Academic Departments—					
A. Faculties—			**2. Fees from Students—**		
(i) Salaries	2,06,53,638		Academic	10,67,367	
(ii) Other Charges	24,49,566	2,31,03,204	Examination	4,50,123	
			Other Fees	1,27,205	
B. Colleges—					
(i) Salaries	21,55,498		**3. Hostels—**	5,61,585	22,06,280
(ii) Other Charges	3,69,597	25,25,095			
C. General Education Centre—			**4. Income from Buildings, Lands, and other Properties—**		
(i) Salaries	1,95,785		Buildings	3,36,839	
(ii) Other Charges	26,408	2,2 2,193	Lands and Gardens	3,22,917	6,59,756
3. Examinations—					
(i) Salaries	1,47,478		**5. Publications—**		33,863
(ii) Other Charges	9,58,605	11,06,083			
4. Library—			**6. Other Departments—**		
(i) Salaries	8,17,633		Building Department	2,184	
(ii) Other Charges	19,60,474	27,78,107	Property	1,838	4,022
5. Students Facilities—					
(i) Salaries	4,16,184		**7. Electricity Department (Auxiliary Services)—**		
(ii) Other Charges	2,52,056	6,68,240	Electricity Supply Service		26,09,486
6. Fellowship, Scholarships and Stipends					
(a) Fellowship	6,61,995				
(b) Scholarships	1,58,060				
(c) Stipends	15,856	8,35,911			

INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNTS FOR THE YEAR 1977-78

Expenditure	Actuals for 1977-78		Income	Actuals for 1977-78	
	Rs.	Rs.	Grant Account—	Rs.	Rs.
7. Hostels—		**(A) Maintenance**	**8. Miscellaneous—**		1,49,710
(i) Salaries	41,10,030		**9. Schools—**		
(ii) Other Charges	2,80,323		Fees from Students	1,02,648	
		43,90,353	Hostels	12,292	
8. Publications—			Miscellaneous	69,381	
					1,84,321
(i) Salaries	89,935		Total—Main University		6,57,44,126
(ii) Other Charges	23,899				
		1,13,834	**10. Medical College Hospital—**		
9. Other Departments—			Miscellaneous Receipts		1,50,793
(i) Salaries	26,04,546		Grand Total		6,58,94,919
(ii) Other Charges	28,63,820				
		54,68,366			
10. Electricity Department (Auxiliary Service)—					
(i) Salaries	6,70,513				
(ii) Other Charges	20,76,900				
		27,47,413			
11. Miscellaneous—					
(i) Leave Salary	19,74,635				
(ii) Other Charges	13,66,304				
		33,40,939			
12. Maintained Institutions Schools—					
(i) Salaries	24,91,938				
(ii) Other Charges	1,88,444				
		26,80,382			
13. Provident Fund and Pension—					
(i) Provident Fund Contribution	3,95,192				
(ii) Pension	6,65,377				
(iii) Gratuity	2,50,478				
		13,11,047			
Total—Main University		6,07,53,383			
14. Medical College Hospital—					
(i) Salaries	32,21,311				
(ii) Other Charges	12,25,006				
		44,46,317			
Total		6,51,99,700			
Excess receipt over expenditure		6,95,219			
Total—Maintenance Grant Account		6,58,94,919			6,58,94,919

Sd./—(S. Shafiq Ahmad)
Asstt. Accounts Officer (Accounts)
A.M.U., Aligarh

Sd./—(Surinder Pal)
Finance Officer
Aligarh Muslim University
Aligarh

INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR 1977-78

Expenditure	Actuals for 1977-78		Income	Actuals for 1977-78	
	Rs.	Rs.		Rs.	Rs.
		(B) Development	Grant Account—		
I. V Plan Schemes—			I. Grant-in-aid from U.G.C. for Vth Plan Schemes . . .		2,20,450
Development of Higher Education and Research—			II. Special Development Schemes . .		7,14,000
Academic Departments— . .			III. Continued IIIrd Plan Schemes . .		75,000
Salaries and Allowances . .	6,02,246		IV. Grant-in-aid for Miscellaneous Schemes—		
Other Charges . . .	1,61,300		U.G.C. and Government of India .		6,85,568
		7,63,546	Total—Income . .		16,95,018
II. Special Development Schemes—			Excess Expenditure over receipts .		5,35,127
Salaries and Allowances . . .	2,92,961				
Other Charges . . .	1,99,384				
Fellowship and Scholarship . .	3,66,488				
		8,58,833			
III. Continued III Plan Schemes—					
Salaries and Allowances . . .	1,44,720				
Other Charges . . .	27,427				
		1,72,147			
IV. Miscellaneous Schemes—					
Writing of Books at University Level .	14,568				
Financial Assistances to Teachers .	17,498				
Utilization of Services of Retired Teachers	48,377				
Summer Institute/School . . .	24,366				
Seminar/Symposium and Conferences .	37,851				
Travel Grant To Teachers . . .	34,905				
Unassigned Grant . . .	96,823				
Other Schemes . . .	1,61,231				
		4,35,619			
Total—Expenditure . .		22,30,145	Total . . .		22,30,145

Sd. (K. A. Siddiqi)
Asstt. Accounts Officer (Grants)

Sd/- (Surinder Pal)
Finance Officer

BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 1978

Liabilities	Amount	Amount	Assets	Amount	Amount
	Rs.	Rs.		Rs.	Rs.
General Fund Account—			**Investments—**		
Permanent Endowment—			**(Various Accounts)—**		
Capitalised value of the investments made under Section 7 of Act XL of 1920		30,00,000	Government Securities	69,98,798	
Permanent Reserve Fund—			Fixed Deposits etc.	2,30,26,177	
Capitalised value of the donations received and transfers made		20,00,000			3,00,24,975
Special Floating Reserve Fund—			Buildings		7,90,75,065
Capitalised value of the donations and grants		10,39,052	Books		67,30,188
Floating Reserve Fund—			Equipment		2,80,92,119
Donations etc. value of		3,74,730	Furniture		36,22,082
Trust Fund—			**Miscellaneous Reserves and Debit balances—**		
Capitalised value of the donations	5,98,885		**General Fund Account—**		
Unutilized interest of Fund	1,80,667		Permanent Advances		49,197
Miscellaneous Trusts	6,764		Outstanding Dues		1,82,297
		7,86,316	Inter Fund Advances		7,26,966
Miscellaneous Funds—			**Deficit in the Income and Expenditure Account—**		
Depreciation Fund	1,91,073		Accumulated Deficit prior to 1950-51	9,30,450	
Building Fund	1,23,25,534		Deficit from 1951-52 to 1977-78 :—		
Engineering College Fund	9,43,845		Deficit till 1976-77 Rs. 17,14,119		
Women's College Fund	23,560		Surplus during 1977-78 (6,95,219 + 1,47,011) Rs. (—)8,42,230	8,71,889	
		1,34,84,012			18,02,339
Miscellaneous Reserves and Credit balances—			**Development Grant Account—**		
University's contribution towards Provident Fund at the credit of the Employees who have opted for pension		37,29,670	Excess Expenditure on account of :—		
National Service Scheme		99,272	(i) Grant received from Government of India for Literary Research Unit at A. K. Tibbiya College	22,744	
Students Aid Fund		34,319	(ii) Grant received from Government of India for Research in Unani Medicine at A. K. Tibbiya College	25,733	
Inter Fund Advances		78,63,433			48,477
Grant for Revision of Scales of Pay		20,23,436	Inter Fund Advances		75,66,025
Suspense, Recoveries and Miscellaneous Accounts		8,67,429			
Compulsory Deposit Scheme		52,008	**Deposit Account—**		
Development Grant Account—			Excess expenditure on account of Fellowships in Hindi and Urdu awarded by Jammu and Kashmir Government		12,713
Capitalised value of the grants received from University Grants Commission for :—			Loans and Advances		8,56,554
Buildings	5,73,98,838		Inter Fund Advances		95,325
Books	73,38,402				
Equipment	3,06,96,550		**Medical College Funds—**		
Furniture	37,54,438		Advances for Medical Studies		7,040
		9,91,88,228	Inter Fund Advances		1,59,063
Fellowships/Scholarships received from :—					
Government of India, I.C.A.R. and I.C.C.R. etc.	2,17,818				
University Grants Commission	4,19,938				
Council of Scientific and Industrial Research	5,99,787				
		12,37,543			

Grants received for Miscellaneous purposes from :—			
Government of India grant for Post-graduate Course in Ilmul Advia			19,763
U P Government Grants for—			
Purchase of equipment for schools	4,467		
Mobile Care Unit Programme	1,31,411		
		1,35,878	
Inter Fund Advances		3,45,329	
Recoveries and Suspense Account		11,46,470	
Unutilized balances of the grants		17,14,435	
Deposit Account—			
Grants received from various Governments and Agencies—			
Ford Foundation	21,94,321		
Kuwait Government	1,00,000		
Shah of Iran Grant	1,08,817		
Shah Saud's Donation	1,41,545		
Jammu and Kashmir Government Grant	6,96,820		
		32,41,503	
Miscellaneous Grants and Deposits—			
Grants received under PL 480 Programme	92,682		
Security Deposits	5,10,069		
Miscellaneous Reserves and Credit balances	4,41,570		
Vice-Chancellor's Fund	5,66,312		
		16,10,633	
Inter Fund Advances		2,97,673	
Medical College Fund—			
Capitalised Value of the donations		60,92,324	
Dr Wali Mohammad Waqf Fund—			
Capitalised value of the donations		1,82,000	
Golden Jubilee Fund—			
Capitalised value of the donations		1,20,305	
Provident Fund Account—			
Provident Fund	2,21,70,045		
Refundable Receipts	24,064		
		2,21,94,109	
Grand Total		17,28,79,871	

Dr. Wali Mohammad Waqf Fund—			
Accumulated net deficit as per Receipt and Disbursement Account			4,242
Golden Jubilee Fund—			
Accumulated net deficit as per Receipts and Disbursement Account			10,281
Provident Fund Account—			
House Building Advances			73,86,047
Inter Fund Advances			44,000
Cash Balances—			
General Fund Account—			
State Bank of India, Aligarh	5,60,165		
State Bank of India, Karachi	731		
		5,60,896	
Development Grant Account		27,18,879	
Deposit Account		2,70,212	
Medical College Fund		13,391	
Dr. Wali Mohammad Waqf Fund		14,024	
Golden Jubilee Fund		1,738	
Provident Fund Account—			
Post Office Saving Bank	23,81,997		
State Bank of India, Aligarh	3,58,740		
Allahabad Bank	64,999		
		28,05,736	
Grand Total		17,28,79,871	

Sd/- (S. Shafiq Ahmad)
Asstt. Accounts Officer (Accounts)
A.M.U., Aligarh

Sd/- (Surinder Pal)
Finance Officer
Aligarh Muslim University, Aligarh

AUDIT CERTIFICATE

I have examined the foregoing Accounts and the Balance Sheet of the Aligarh Muslim University, Aligarh for the year 1977-78 and obtained all the information and explanation that I have required and subject to the observations in the separate Audit Report, I certify as a result of my audit, that in my opinion these Accounts and the Balance Sheet are properly drawn up so as to exhibit a true and fair view of the state of affairs of the Aligarh Muslim University, Aligarh according to the best of my information and explanation given to me and as shown by the books of the Aligarh Muslim University, Aligarh.

Sd/- (M. M. Mehta)
Accountant General-I
Uttar Pradesh, Allahabad

BANK RECONCILIATION STATEMENT 31st MARCH, 1978

	General Fund Account Rs.	Dev. Grant Account	Provident Fund Account	Deposit Account	Medical College Account
	Rs.				
Balance as per account	+5,60,165	+27,18,879	+3,58,740	+2,70,212	13,391
Deduct—					
Remittances in transit	—8,96,615	—22,04,589	—4,94,843	—1,30,380	..
Erroneous/unclassified debits by the bank	—16,55,822	—3,70,843	—825	—1,18,770	..
Total	—19,92,272	+1,43,477	—1,36,928	+21,062	13,391
Add—					
Unclassified Cheques	+56,71,392	+22,45,017	+2,86,177	+1,26,507	..
Erroneous/unclassified credits by the bank	+4,91,485	+91,546	+2,575	+32,602	..
Balances as per bank statement	+41,70,605 Cr.	+24,80,040	+1,51,824	(+)1,80,171	(+)13,391

AUDIT REPORT OF ACCOUNTANT GENERAL U.P. ALLAHABAD ON THE ACCOUNTS OF ALIGARH MUSLIM UNIVERSITY, ALIGARH FOR THE YEAR 1977-78

1. Introductory :

The University is financed mainly by the University Grants Commission, the Government of India and the State Government. Income from endowments and investments, buildings and lands, academic fees and hostel receipts realised from the students, Medical College hospital receipts etc., are classified as its revenue receipts. A broad analysis of the receipts and payments during 1977-78 is given below :—

Income	Amount (Rupees in lakhs)		Expenditure	Amount (Rupees in lakhs)	
1	2		3	4	
1. Grants received from the			1. Capital		
(i) University Grants			(i) Equipments	32·90	
Commission	585·46		(ii) Buildings	11·92	
(ii) State Government	2·62	588·08	(iii) Books	11·41	
			(iv) Furniture	0·85	
2. Income from endowments and investments		10·88			57·08
3. Income from buildings and lands		6·60	2. Revenue expenditure pay, allowances and general expenses)		353·13
4. Academic receipts		18·29	3. Academic expenditure		72·33
5. Hostel receipts		5·62	4. Hostels		43·90
6. Medical College Hospital receipts		1·51	5. Fellowships and Scholarships		8·36
7. Miscellaneous receipts		27·97	6. Medical College Hospital		44·46
8. Grants received from the University Grants Commission and the Government of India for various schemes :			7. Miscellaneous expenditure		116·71
			8. Provident fund and pensions		13·11
			9. Development grants		22·30
			10. Unutilised balance of grants—		
(i) Recurring	16·95		Maintenance	6·95	
(ii) Non-recurring	68·50	85·45	Capital	11·42	
				18·37	
			Development(—)	5·35	13·02
Total		744·40			744·40

2. Non-production of records :

Accounts for 1977-78 were finalised by the University in May 1979, Audit thereof was conducted from 3 September to 14 November 1979. Till the conclusion of the audit, the records listed in Annexure 'A' to this report were not made available to Audit by the departments concerned.

During the period of the audit, 724 audit notes were issued to the various departments. The University replied to 674 audit notes by the conclusion of the audit (November 1979) and replies to 40 notes were received in January 1980. Replies to 10 notes have not yet been received (April 1980). The comments made in this report and its finalisation and issue are, therefore, subject to the limitations caused by the aforesaid factors.

3. Comments on annual accounts :

(i) Cash balances :

	Rupees
(1) General Fund account	5,60,896
(2) Development Grant account	27,18,879
(3) Deposit account	2,70,212
(4) Provident Fund account	28,05,736

The reconciliation done upto 31 March 1978 by the University with the bank disclosed the following :—

(a) Rupees 37·26 lakhs (including Rs. 28·63 lakhs relating to 1977-78 shown in the University accounts as remitted to the Bank between 1959-60 and 1977-78 were not accounted for in the bank account;

(b) Rupees 21·46 lakhs debited by the bank against the University between 1965-66 and 1977-78 were not accounted for in the University accounts;

(c) Rupees 6·18 lakhs credited by the bank to the University accounts between 1967-68 and 1977-78 had not been accounted for in the University accounts (November 1979); and

(d) Cheques totalling Rs. 83·29 lakhs (including cheques for Rs. 48·01 lakhs pertaining to 1977-78) drawn by the University between 1964-65 and 1977-78 remained uncashed (March 1978). The time-barred cheques had not so far been cancelled by the University (November 1979).

Despite huge difference of items covering nearly two decades no steps were taken for analysing and clearing the differences although this serious position resulted in non-detection of fraudulent drawals of Rs. 2·22 lakhs on forged cheques as brought out in the Audit Report for the year 1972-73.

The University stated (March 1980) that reconciliation had been made to the following extent:—

Difference	Amount reconciled	Amount awaiting reconciliation
	Rupees in lakhs	
(a) 37·26	28·16	9·10
(b) 21·46	5·27	16·19
(c) 6·18	1·83	4·35
(d) 83·29	59·15	24·14

(ii) Advances :

Temporary advances aggregating Rs. 98·29 lakhs pertaining to purchases/contingencies/personal advances etc. paid to various departments and officers of the University between 1961-62 and 1977-78, as detailed below, were still outstanding (November 1979) for want of necessary adjustments although the concerned departments and officers had submitted adjustment vouchers.

Years	Number of advances	Amount
		(Rupees in lakhs)
1961-62 to 1970-71	592	14·42
1971-72 to 1975-76	1,258	31·68
1976-77 to 1977-78	2,163	52·19
Total	4,013	98·29

The University stated (March 1980) that advances were under scrutiny in the Central Accounts Section and that 64 items amounting to Rs. 2·00 lakhs had since been adjusted by January 1980.

(iii) Non-inclusion of accounts :

It was mentioned in the Audit Reports for 1975-76 and 1976-77 that the accounts of the University Press and Dewakhana, Tibbiya College, which form integral part of the University, were not incorporated in its annual accounts. The accounts continue to remain excluded from the University accounts and these were also not made available for audit.

The question of incorporation of these accounts in the University accounts was reported (July 1979) to be under the consideration of the Executive Council. No decision had, however, yet been taken in this regard (May 1980).

4. Grants :

(i) As on 31st March 1978, the University had grants amounting to Rs. 100·46 lakhs to be utilised for the purpose for which they were given by the grantors (Government of India, University Grants Commission and others). The extent of unutilised grants which stood at Rs. 8·81 lakhs during 1951-66 had steadily increased over the years to the present level. It was further noticed in audit that the unutilised grant relating to period ending 1973-74 (commencing from 1951) amounted to Rs. 34·53 lakhs and there had been no transaction on several grants over the years. The extent of unutilised grant had not been reported to the grantors and the University stated (March 1980) that the unspent balances in some cases were due to non-receipt of final bills and that no refund had been made as the grantors had not requested for it.

(ii) Overspent amount of grants :

At the close of 1977-78, the University had spent Rs. 25·97 lakhs in excess of the grants received by it from the Government of India, the University Grants Commission and other agencies as detailed below :—

Five-Year Plan	Excess Expenditure		
	Development Grants	Recurring Grants	Total
		(Rupees in lakhs)	
I, II, III (1951-66)	5·06	0·83	5·89
IV (1969-74)	6·19	..	6·19
V (1974-75 to 1977-78)	4·80	3·80	8·60
Miscellaneous		5·29	5·29
Total	16·05	9·92	25·97

The University stated (March 1980) that expenditure was incurred on the basis of the sanctions received from the University Grants Commission but the funds were not released during the year of sanction resulting in over-spending which were set off as and when grants were released by the Commission. The extent to which grants were received late and would need to be set-off against unutilised grant (mentioned in previous sub-para) had not, however, been worked out with the result that the exact position of unutilised grant/excess expenditure was not available in the records.

5. Construction of nurses' quarters :

With the approval of the University Grants Commission for the construction of 20 nurses' quarters (estimated cost : Rs. 5·98 lakhs) against sanctioned grant of Rs. 6·00 lakhs the University invited completed item rate tenders in April 1972. The comparative position of the first and second lowest tenders were as below :—

	First lowest		Second lowest	
	For entire work	For work taken up	For entire work	For work taken up
			(Rupees)	
Tendered amount before deduction of rebate	7,02,267	5,31,483	6,94,500	5,30,950
Less rebate (first lowest) 6 per cent (second lowest) 2·75 per cent	42,136	31,889	18,869	14,601
Net amount of tender	6,60,131	4,99,594	6,75,631	5,16,349

The lowest tender was rejected on the grounds that his rates for some items were considered unworkable (though these were above the estimated rates) and he was pre-occupied with other works already awarded to him by the University. The work was awarded to the second lowest tenderer in November 1972 for completion in ten months.

The work was started from 1st November 1972 and though the agreement was to be executed within seven days, it was actually executed in March 1973. Meanwhile in February 1973 the contractor had stopped the work due to non-availability of cement in market, which became a controlled commodity.

Even though the agreement specifically provided that no claims were to be entertained for any fluctuations in market conditions under any circumstances, the University approved (May 1974) after expiry of a year an increase of 12 percent in the rates on grounds of non-availability of cement which became a controlled commodity in February 1973. Yet the contractor did not resume the work which remained suspended for five years (February 1973 to January 1978) and with the passage of time the contractor continued to demand more increase in rates. Ultimately, the University approved (February 1978) variation to the extent of 28 percent and the work was resumed in February 1978.

The University did not enforce the conditions of agreement which empowered it to take the work out of the hands of the contractor and get it executed departmentally or through other agency and to debit extra cost, if any, to the contractor.

The aforesaid variation of 28 percent had resulted in expenditure of Rs. 0·78 lakh till the payment of the 5th running account bi to the contractor (May 1979) and would finally involve total extra cost of Rs. 1·49 lakh.

6. Research fellowships :

In July 1977, the University Grants Commission sanctioned 80 Junior research fellowships of Rs. 525 each per month during 1977-78 on the condition that the number of fellowships at any one given time should not exceed 80, including existing scholars already working as well as the new scholars already appointed/to be appointed during the year. The expenditure over and above this allocation was to be borne by the University out of its own sources. In November 1977, the University requested the Commission to waive the limit of 80 fellowships at any one given time; the fellowships already awarded in the previous year being 140. The University did not, however, limit the fellowships within the Commission's sanction, nor did it wait for their reply. On the other hand, in December 1977 it awarded 50 new fellowships raising the total number to 190.

In February 1978, the Commission raised the number of fellowships from 80 to 100 on the same basis of restricting the total number at any one given time to 100. On 90 fellowship awarded in excess of the revised sanction of the Commission, the University incurred extra expenditure of Rs. 5·67 lakhs during 1977-78 which was met out of the savings of earlier years grants from the Commission for the purpose and not out of University's own sources as desired by the Commission.

The University stated (March 1980) that in May 1978 the University Grants Commission permitted the University to carry forward the unspent balances of previous years grants and those to be sanctioned during 1978-79 for meeting extra expenditure while maintaining the number of scholarships to 100. As the unspent grants were, however, utilised to meet expenditure on scholarships in excess of prescribed ceiling, the action of the University was not in order and the extra expenditure incurred would require refund to the Commission, from out of University's own resources.

7. Training-cum-production centre :

With a view to providing and promoting entrepreneurship amongst the students a scheme estimated to cost Rs. 10·58 lakhs for establishment of a production-cum-training centre (to be run as a small scale ancillary industry) at the University polytechnic was submitted in May 1976 to the Government of India and the University Grants Commission. The Commission sanctioned a grant of Rs. 8·48 lakhs in June 1977 and released Rs. 6·50 lakhs immediately. Between December 1977 and July 1978, the University spent Rs. 5·84 lakhs on purchase of machinery (Rs. 5·78 lakhs) and miscellaneous expenses (Rs. 0·06 lakh). Further purchases were suspended thereafter as the entire scheme had come under the review of the Executive Council. The machinery already purchased were not installed and no staff for the centre was appointed (November 1979).

The Centre could not enter upon the production phase for want of working capital requirement of Rs. 5 lakhs. However, the Executive Council sanctioned loan of Rs. 0·50 lakh for this purpose and out of this Rs. 0·25 lakh were made available to the centre.

The University stated (November 1979) that the centre could not function as the Executive Council had not completed the review, nor did it approve the appointment of bankers (who could give loan for working capital) or the financial/executive rules, salary/wages structure etc. of the centre.

The scheme thus remains shelved after incurring expenditure of Rs. 5·84 lakhs.

8. Ambulance :

The University purchased in November 1977 an ambulance for Rs. 0·84 lakhs, including body fabrication charges (Rs. 0·26 lakh). Several defects were noticed in the vehicle and reported in May 1978 by the drivers of the hospital. The Associate Lecturer, Mechanical Engineering Department, University Engineering College, reported in September 1978 that the vehicle was an assembly of old and converted parts of vehicles of different makes, it was not of genuine make and it was not road worthy.

The University stated (March 1980) that the case was being investigated by a University enquiry committee which was to sunbmit its report within three months.

9. Library air-conditioning plant :

In November 1962, an agreement was entered into with a Lucknow firm for providing four 5ton packaged air conditioners for the manuscript and rare book section of the Maulana Azad Library at a cost of Rs. 0·72 lakh. Seventy five percent payment was to be made on delivery of material at site, 15 percent on completion of the work and balance 10 percent at the end of the guarantee period of one year from the date of handing over the installation to the University.

Between November 1962 and May 1963, the four air conditioners were installed. The performance of the plant was demonstrated in May and July 1963 and a certificate was given by the University. But the certificate did not include any test data, as contemplated in the agreement. While the University had been regularly pointing out several defects in the plant, it had already released Rs. 0·65 lakh on account of 90 percent payment without getting the supply and installation of the plant checked by the University's adhoc Committee, which had in May 1962 recommended the acceptance of the offer of the supplier. Since the expiry of the guarantee period in May 1964, the suppliers were pressing for the releases of the balance payment of Rs. 0·07 lakh. The air conditioning plant was got inspected in May 1967 by a Central Public Works Department air conditioning expert who pointed out that against the envisaged capacity of 5 tons, the capacity of two units was 4 and 2·5 tons respectively. Another unit could not be tested as gas had leaked out from it. Yet another unit was also not in working order due to some internal trouble in the sealed unit. He also held that previous tests and demonstrations held with lower outdoor temperatures could not be considered adequate to ensure satisfactory performance under all varying conditions of temperature and humidity. The installation, as a whole, in his opinion, was substandard and did not meet with the contractual specifications.

Between May 1963 and August 1970 the University was pressing the suppliers to put the plant into action and the suppliers were insisting for the release of the balance payment of Rs. 0·07 lakh. The representatives of the suppliers met the University librarian and electrical engineer in September 1970 and agreed to supply the technical advice and set the plant in Working order. The University also purchased spare parts worth Rs. 0·02 lakh, but the suppliers did not honour their commitment.

The air conditioning plant supplied by the Lucknow firm could not be brought into use so far (November 1979). With a view to protecting the University's collections of manuscripts and rare book sections from further deterioration, the University got installed during 1978-79, another set of four air conditioners acquired at a cost of Rs. 1·10 lakh from a Delhi firm.

10. Equipment for electrical engineering department :

In February 1967, one set of Transformer High Voltage 150—KVA—30 KVA.A.C. testing equipment was purchased at a cost of Rs. 0·56 lakh for the Electrical Engineering department. But even after nearly 13 years it had not yet been installed and brought into use (November 1979).

The University stated (March 1980) that the equipment could not be installed due to non-availability of space, as a special building required for the purpose, was under construction.

(Sd/- **M. M. Mehta**)
Accountant General-I
Uttar Pradesh

ANNEXURE 'A'

1. Records of University Press for 1974-75 to 1977-78.
2. Records of Tibbiya Dawakhana for 1974-75 to 1977-78.
3. Vouchers impounded in respect of Defence Department Grants.
4. Stock Register of Rubber goods and minor articles of Medical College.
5. Records relating to refund of Rs. 48,758·91.
6. Report of D. D. Dhingra Committee appointed in August 1975.
7. Files concerning grant of Rs. 1,10,538·44 for payment of Architects fees for works not finally executed.
8. Agreement Register for the year 1972-73.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1981